राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून – 2013

कानून की मुख्य बातें, प्रावधान एवं शिकायत निवारण की प्रक्रियाएं

Prepared by

Haldhar Mahto

Member State Food Commission, Jharkhand

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत इस कानून को प्रभावी करने हेतु किये गए मुख्य प्रावधान

(1/3)

उद्देश्य – खाद्य और पोषण सुरक्षा: स्वस्थ, क्रियाशील और अच्छे इंसान के लिए

अध्याय II -

- **धारा 3, 4, 5 एवं 6 – खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध/ हकदारियाँ**

(कम दर या सहायता प्राप्त दर पर अनाज, गर्भवती स्त्रियाँ और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता, बालकों एवं बालिकाओं को पोषाहार सहायता, बालक कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन)

- परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम से राशन कार्ड
- हकदारियों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय-III- धारा 8- खाद्य सुरक्षा भत्ता

अध्याय-V- धारा 12 - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

- ज.वि.प्र. के निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान
- Computerisation and transparent recording of transactions at all levels
- अभिलेखो की पूर्ण पारदर्शिता
- Diversification of commodities

 # झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2017 की कंडिका 7 के अनुसार अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान एवं कार्रवाई

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत इस कानून को प्रभावी करने हेतु किये गए मुख्य प्रावधान (2/3)

अध्याय 7- शिकायत निवारण प्रणाली एवं जांच सम्बन्धी

- धारा-14- आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र - प्रत्येक विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में (उदाहरण के लिए- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इस प्रक्रिया हेतु स्थापित कॉल सेंटर/लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली(PGMS) एवं इस हेतु जारी टोल फ्री नंबर – 1800 212 5512
- धारा-15 – जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्य, शक्तियां और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में (कार्य और दायित्व)
- धारा-16- राज्य खाद्य आयोग के बारे में (कार्य और दायित्व), जांच की शक्तियां इत्यादि

अध्याय-11- पारदर्शिता और जवाबदेही

- धारा-27- लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी अभिलेख सार्वजनिक प्रभुत्व के क्षेत्र में जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।
- धारा-28- सामाजिक समीक्षा (Social Audits) के बारे में
- धारा-29- विभिन्न स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के कर्तब्य और दायित्व के बारे में

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत इस कानून को प्रभावी करने हेतु किये गए मुख्य प्रावधान

(3/3)

अध्याय -12

धारा- 30 – दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों मे रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा (डाकिया योजना- झारखंड के लिए)

धारा- 31 – खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय-

- कृषि का पुनः सुदृढीकरण (revitalisation of Agriculture)
- उपापन, भंडारण लाने ले जाने से संबन्धित (Procurement , Storage and Movement related)
- अन्य निम्न तक पहुँच – सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता; स्वास्थ्य देखभाल; किशोरी बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध मे सहायता; और वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन

अध्याय -13

धारा-33 – शास्तियाँ

- अगर कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा , किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय , जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने असफल रहने का या ऐसी सिफारिश को जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा, 5000/-रुपये [पांच हज़ार रुपये] से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।
- परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व,यथास्थिति, लोकसेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

...End of this section...

[Session-2]

मुख्य प्रावधान: सेवाएँ एवं व्यवस्थाएं (संक्षिप्त में) (1/5)

क्र° सं.	क्या मिलेगा (हक़)	कहाँ मिलेगा
1.	मध्याह्न भोजन (6 वर्ष से 14 वर्ष तक अथवा कक्षा VIII तक के बच्चों केलिए)	विद्यालय में
2.	पूरक पोषाहार • 6 माह से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों के लिए • गर्भवती महिला एवम् धात्री माताओं के लिए	आंगनवाड़ी केंद्र से
3.	प्रत्येक गर्भवती महिला को पहले बच्चे के लिए नगद पोषण सहायता (PMVY)	आंगनवाड़ी केंद्र से
4.	कम दर पर अनाज १.पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार को(PHH)-5kg/सदस्य २. अंत्योदय अन्न योजना (AAY)- 35 किलो /परिवार	राशन दूकान से
	३. विशिष्ट जन-जाति (पूर्व नाम –आदिम जनजाति) के परिवारों के लिए– 35Kg /परिवार घर पहुंचाकर	डाकिया योजनान्तर्गत घर पहुंचाकर-

मध्याह्न भोजन (हकदारियाँ)
[रा.खा.सु.का. की धारा 5 -1(ख) अनुसूची -2]

(2/5)

राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तय मेनू अनुसार प्रत्येक विद्यालय दिवस में दोपहर को विद्यालय में गरम पका पकाया पौष्टिक भोजन

किसको और क्या मिलेगा– 6 से 14 साल तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढने वाले सभी छात्र छात्राओं को निम्न अनुसार (सप्ताह मे 3**दिन अंडा सहित):

वर्ग	खाना का प्रकार	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
कक्षा I से V तक	पका-पकाया गर्म भोजन	520	15
कक्षा VI से VIII तक	पका-पकाया गर्म भोजन	760	23

मध्याह्न भोजन
खाद्य पदार्थों एवं पोषण की मात्रा का विवरण (3/5)

क्रम सं०	खाद्य सामग्री (सप्ताह मे ३ दिन अंडा सहित	प्राथमिक (कक्षा- I से V) (लागत- Rs. 4.48)			मध्य विद्यालय (कक्षा-VI से VIII) (लागत- Rs. 6.71)		
		मात्रा (ग्रा० में)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा० में)	मात्रा (ग्रा० में)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा० में)
1.	खाद्यान्न (गेहूं/चावल/मोटा अनाज)	100	340	8	150	510	12
2.	दाल/दालें	20	105	7	30	175	11
3.	सब्जियां	50	30	0	75	30	0
4.	तेल और वसा	5	45	0	8	45	0
5.	नमक और मसाले	जरुरत के अनुसार					
6.	इंधन	जरुरत के अनुसार					
7.	अंडा,फल,मांस व अन्य	जरुरत के अनुसार					
	कुल	175	520	15	263	760	23

10/16/2019

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

विशिष्ट

4/5)

भोजन का स्कीम हर हाल में चालुरहेगा। प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि स्कुल में उपलब्ध निधि का उपयोग वह इस कार्य के लिए करे।

[मध्याह्न भोजन नियम 7 (2)]

(आंतरिक व्यवस्था)

Toll Free No. 18003457025

3. **SMS द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी -**

http://mdmreport.jharkhand.gov.in:8072/mdm/exportReport

मध्याह्न भोजन- कानून का उल्लंघन होने की स्थिति मे खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं उसमे प्रावधान (5/5)

[रा.खा.सु.का. की धारा -8 एवं मध्याह्न भोजन नियम 9]

1. यदि **किसी भी स्कूल दिन** के स्कूल मे **मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता** है तो नियम 3 मे निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध (ग)] मे परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों के पात्रता अनुसार **अगले माह की 15 तारीख** तक उपलब्ध कराएगी [नियम – 9 - (1)] ।

2. स्कुल दिनों में **लगातार तीन दिन** अथवा **एक महीना में कम से कम पाँच दिन** तक मध्याह्न भोजन नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेवारी नियत करने के लिए कार्रवाई करेगी [नियम – 9 - (3)]।

.....End of this Section......

[Session-3]

6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषाहार (कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों सहित) – (हकदारियाँ)

(रा.खा.सु.का. की धारा 5 -1 (क)

<u>किनको मिलेगा ?</u> **6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को (कुपोषण से ग्रसित बच्चो सहित)**

(1/7

<u>क्या मिलेगा ? - [रा.खा.सु.का. की धारा 5 -1(क) – अनुसूची -2] के अनुसार</u>

वर्ग	खाना का प्रकार/ क्या मिलेगा ?	कैलोरी की मात्रा	प्रोटीन की मात्रा
6 से 36 माह तक के बच्चे	THR (घर ले जाने वाला राशन)	500	12-15
3 से 6 साल तक के बच्चे	सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्म पका-पकाया भोजन मेनू के अनुसार– सप्ताह मे 3** दिन अंडा सहित **(साल मे कम से कम <u>300</u> दिन)**	500	12-15
6 माह से 6 साल तक के <u>कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे</u>	THR के साथ कुल <u>800 किलो कैलोरी</u> ऊर्जा का पूरक खाद्यान्न <u>कुल 20-25</u> <u>ग्रा. प्रोटीन</u> के साथ	800	20-25

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

गर्भवती महिला एवम् धात्री माता को आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त पोषाहार (हकदारियाँ)

(बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक)

[रा.खा.सु.का. की धारा 4 (क)- अनुसूची- 2]

(2/7)

किसको मिलेगा ?	गर्भवती महिला एवम् धात्री माता को	कैलोरी	600
		प्रोटीन	18-20
क्या मिलेगा ?	गर्म पका-पकाया भोजन अथवा अधिनियम के अनुसार आंगनवाड़ी से मिलने वाली सेवाओं के लिए तय घर ले जाने वाला राशन (THR)		

पूरक पोषण के लागत मानक

(3/7)

श्रेणियाँ	दर (प्रति लाभार्थी)
बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक)	8.00 रुपये
कुपोषित बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक)	12.00 रुपये
गर्भवती महिलाएं और धात्री तथा नर्सिंग माताएँ	9.50 रुपये

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (सिर्फ 1 बच्चे के लिए)

पूरक पोषाहार के अतिरिक्त पोषण भत्ता

[रा.खा.सु.का. की धारा 4 (ख)]

किनको	सभी गर्भवती महिला एवम् धात्री माता को [1 जनवरी 2017 को या उसके बाद की गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं (आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं सहिया सहित)]
कब	**गर्भ धारण से बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक**
क्यों	▪गर्भावस्था के दौरान मजदूरी में नुकसान की आंशिक भरपाई ▪गर्भवती महिला एवं धात्री माता को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि एवं ▪पोषण युक्त आहार के लिए आंशिक सहयोग
किस प्रकार	**नगद बैंक ट्रान्सफर – किस्तवार बैंक खाता मे**

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना
किस्त का विवरण

नगद ट्रांसफ़र (बैंक खाता में)	कब	कितना रुपया
प्रथम क़िस्त	पहले रजिस्ट्रेशन के बाद	1000/-
दूसरा क़िस्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद (गर्भधारण के 6 माह के बाद)	2000/-
तीसरा क़िस्त	१. बच्चे के जन्म का निबंधन एवं २. BCG, OPV, DPT एवं Hepatitis-B या इसके समतुल्य टीकाकरण के बाद	2000/-
अंतिम क़िस्त	संस्थागत प्रसव के उपरान्त (JSY योजना अंतर्गत नगद प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत)	1000/-

अति महत्वपूर्ण नोट:- Chapter III, Point 3.6

निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण नहीं करा पाने या दावा प्रस्तुत नहीं कर पाने पर मातृत्व लाभ मिलने का प्रावधान : अगले पृष्ठ पर

अति महत्वपूर्ण नोट:- Chapter III, Point 3.6

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना
(अति महत्वपूर्ण अगर समय पर दावा नहीं कर पाये हैं तो ......)

* किस्तों का दावा एक दूसरे पर निर्भर नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से अलग अलग भी पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का दावा किया जा सकता है। लाभूक को चाहिए लाभुक को चाहिए कि वह योजना के अंतर्गत लाभ का समुचित रूप से उपयोग करने के लिए शर्तों की पूर्ति के बाद आवेदन करें। यदि लाभुक ने योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है परंतु निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण नहीं करा पायी हैं या दावा प्रस्तुत नहीं कर पायी हैं तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है :
* लाभुक किसी भी समय, गर्भधारण के **अधिकतम 730 दिन के अंदर**, अवेदन कर सकती हैं, भले ही उन्होंने पहले किसी क़िस्त के लिए दावा नहीं किया हो। एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज एल.एम.पी. कि तिथि इस संबंध में विचार के लिए गर्भधारण की तिथि होगी। गर्भधारण के **730 दिन बाद** योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
* ऐसे मामले में जहां एम.सी.पी. कार्ड में एल.एम.पी. तिथि दर्ज नहीं है एवं लाभुक योजना के अंतर्गत तीसरे क़िस्त का दावा करने के लिए आ रहीं है तो ऐसे में दावा बच्चे के **जन्म तिथि से 460 दिन के** अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा इस अवधि के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाने वाली सेवाओं मे - कानून का उल्लंघन होने की स्थिति मे खाद्य सुरक्षा भत्ता [रा.खा.सु.का. की धारा -8]

रा.खा.सु.का. की धारा 5 -1 (क), धारा 4 (क)- [अनुसूची- 2] एवं धारा 4 (ख)

मे

दिये गए किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन होने पर प्रत्येक पंजीकृत बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री एवं नर्सिंग माँ को खाद्य सुरक्षा भत्ता ।

End of this section

[Session-4]

खाद्यान्न सुरक्षा

(1/2)

[रा.खा.सु.का. की धारा 3 (1) एवं झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश -2019 के खंड 3 उपखंड ii, iii, iv एवं v] के तहत हकदारियाँ

जन वितरण प्रणाली की दूकान से

PHH/पुर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार को (गुलाबी कार्ड)	5 Kg/ व्यक्ति (1 रूपये/किलो)	
अंत्योदय अन्न योजना या पीला कार्ड धारक	AAY मे शामिल प्रत्येक परिवारों को 35Kg अनाज (1 रूपये/किलो)	
डाकिया योजना (सभी विशिष्ट जनजाति के परिवार को)	1. AAY अंतर्गत -35 किलो ग्राम अनाज 2. बिना कोई मूल्य चुकाए 3. सीलबंद बैग/बोरा में 4. घर पहुंचाकर	

Prepared by Haldhar Mahto, Member, State Food Commission, Jharkhand

जनवितरण प्रणाली की दुकान से दिये जाने वाले खाद्यान्न मे कानून का उल्लंघन होने की स्थिति मे खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं उससे संबन्धित प्रावधान

[रा.खा.सु.का. की धारा -8]

(2/2)

1. इस माह का राशन इस माह के किसी भी दिन (दुकान बंदी के दिन(सोमवार) को छोड़कर) और अगले माह के अंतिम दिन तक उठा सकते हैं (उदाहरण- अगस्त का राशन सितंबर माह के अंतिम दिन यानि 30 सितंबर तक उठा सकते हैं)

2° राशन नहीं मिलने पर या किसी भी तरह की राशन संबंधी समस्या होने पर आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 1800 212 5512 पर शिकायत।

3° निर्धारित अवधि मे योग्य कार्डधारी को राशन न मिलने अथवा हकदारी से वंचित रखने की स्थिति मे धारा 8 के तहत कानून अनुरूप खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान

........End of this part ....

Session-IV
Grievance Redressal System

भारत
का
संविधान

सत्यमेव जयते

NFSA अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र

1. आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली –

संबन्धित विभागों द्वारा---------------------(*धारा 14*)

2. जिला शिकायत निवारण अधिकारी –

जिला स्तर पर -------------------------------(*धारा 15*)

3. राज्य खाद्य आयोग –

अपीलीय प्राधिकार के रूप मे-------------(*धारा 16*)

4. सतर्कता एवं निगरानी समितियां

(पंचायत, प्रखण्ड,जिला एवं राज्य स्तर पर **..............(*धारा 29*)**

1° आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र- संबन्धित विभागों द्वारा
(धारा – 14 के अंतर्गत)

A ° जन वितरण प्रणाली/ खाद्यान्न से सम्बंधित

1° विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 1800 212 5512 पर शिकायत दर्ज अथवा

2° विभाग द्वारा संचालित www.dfcajharkhand.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत अथवा

3° Mail द्वारा pgms@dfcajharkhand.in पर शिकायत दर्ज अथवा

4° 8969583111 पर whatsapp द्वारा शिकायत दर्ज

B ° मध्याह्न भोजन से सम्बंधित

1. विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 18003457025 मध्याह्न भोजन का अनुपालन न होने की स्थिति मे शिकायत दर्ज
2. SMS द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी - http://mdmreport.jharkhand.gov.in:8072/mdm/exportReport

C° आंगनवाड़ी से सम्बंधित-

2° जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (DGRO)
(धारा – 15 के अंतर्गत)

जन वितरण प्रणाली अथवा मध्याह्न भोजन अथवा आंगनवाड़ी से दी जाने वाली सेवाओं से सम्बंधित

1° क) जनवितरण प्रणाली से खाद्यान न मिलने अथवा अन्य कोई कानून के उल्लंघन की स्थिति मे अथवा

ख) मध्याह्न भोजन की अनियमितता अथवा कानून का उल्लंघन की स्थिति मे

ग) आंगनवाड़ी की सेवाओं मे कानून का उल्लंघन की स्थिति मे

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (DGRO/AC) के यहाँ पूर्ण विवरण एवं साक्ष्य के साथ अगले ही माह लिखित शिकायत दर्ज करने पर एक माह के अंदर DGRO द्वारा सुनवाई एवं कानून सम्मत कार्रवाई ।

विशेष परिस्थिति मे DGRO उपायुक्त की अनुमति से एक माह का अतिरिक्त समय ले सकते हैं.

contd ....

2° जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (DGRO)
(धारा – 15 के अंतर्गत)

2° धारा 33 अंतर्गत बिना किसी युक्तियुक्त कारण के / जानबूझकर अवज्ञा करने के दोषी/ पाये जाने पर 5000/-रुपये [पांच हज़ार रुपये] से अनधिक की शास्ति।

3° अपर समाहर्ता के आदेश से सन्तुष्ट नहीं होने पर आयोग मे अपील

4° झारखंड राज्य खाद्य आयोग के एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र jharkhandsfc.in मे सीधे ऑनलाइन शिकायत जो - सीधे संबन्धित जिला के DGRO को अग्रसारित हो जाएगा (प्रक्रियाधीन)

5° कुछ शिकायतों का नमूना jharkhandsfc.in पर दिया हुआ है ।

3° राज्य खाद्य आयोग
(धारा-16)

खाद्य आयोग मे शिकायत निपटारा

1. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से संतुष्ट न होने अथवा तय समय पर शिकायत का निपटारा न होने की स्थिति मे राज्य खाद्य आयोग मे शिकायत निवारण हेतु लिखित अपील

2° अपील आयोग को jharfoodcommission@gmail.com या mail@jharkhandsfc.in पर भी भेज सकते हैं

3° अथवा झारखंड राज्य खाद्य आयोग के एकीकृत ऑनलाइन शिकायत तंत्र jharkhandsfc.in मे सीधे ऑनलाइन अपील (प्रक्रियाधीन)

खाद्य आयोग के कृत्य एवं जिम्मेवारियाँ

1. अधिनियम के कार्यान्वयन की मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन
2. उपबंधित हकदारियों के अतिक्रमणों की स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जांच
3. अधिनयम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह
4. अधिनियम अंतर्गत दी गई हकदारियों तक पूर्ण पहुँच बनाने एवं खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के हेतु राज्य सरकार एवं सम्बद्ध एजेन्सीयों/ अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह
5. DGRO के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई
6. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जा सके ।

4° सतर्कता एवं निगरानी समितियां

(धारा – 29 के अंतर्गत)

उद्देश्य – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न हकदारियाँ सुनिश्चित करने वाली क्रियान्वयनकारी संस्थाओं या कृतकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए

प्रारूप – राज्य/जिला/नगर निगम/नगर पालिका/प्रखण्ड/पंचायत/वार्ड स्तर पर सरकार द्वारा विहित नियम अनुसार अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य की नियुक्ति या मनोनयन- एक तय समय के लिए

सतर्कता समितियों के कृत एवं दायित्व-

1. अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण
2. अधिनियम के किन्ही उपबंधों के अतिक्रमण की जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को, खाद्य आयोग को, लिखित मे, सूचना देना ; और
3. किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की, जिसका उसे पता चले, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को, खाद्य आयोग को, लिखित मे, सूचना देना।

लिखित शिकायत पत्र/अपील लिखने वाले के लिए नोट कृपया ध्यान रखे।

शिकायत लिखते समय कम से कम निम्न 4 (चार) विवरण शिकायत पत्र मे जरूर से जरूर होने चाहिए –

1. शिकायत या अपीलकर्ता का पूरा नाम, पता, फोन नंबर सहित (यदि हो तो) स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य लिखा हो ताकि जब पत्राचार किया जा सके तो उन तक पत्राचार के पते पर पहुंचा जा सके।
2. शिकायत या अपील प्राप्त करने वाले का स्पष्ट नाम/पदनाम एवं पता ताकि आपकी शिकायत सही जगह पर पहुँच सके । यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपने सही जगह पर शिकायत या अपील की है । अगर आपकी शिकायत या अपील सही कार्यालय/अधिकारी तक नहीं पहुँच पायी है तो किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने मे असुविधा होती है।
3. शिकायत क्या है यह स्पष्ट रूप से लिखे जिससे समझ मे आ सके की मामला क्या है। शिकायत के साथ कोई उचित साक्ष्य जरूर उपलब्ध कराए जिससे सुनवाई के क्रम मे आपकी शिकायत/अपील को साबित किया जा सके और आपको न्याय मिल सके।
4. आप क्या कार्रवाई चाहते हैं यह भी शिकायत या अपील मे जरूर लिखे ताकि उसके अनुरूप कार्रवाई की जा सके ।

कृपया निम्नलिखित बातों को ध्यान मे रखें अपनी शिकायत/अपील दर्ज करने से पहले 2/2

- भेजने वाले का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट हो (फोन नंबर सहित, यदि हो तो)
- शिकायत जमा करने की तारीख जरुर दें ताकि आप शिकायत जमा करने के बाद कारवाई तक के दिन का हिसाब रख सकें।
- शिकायत क्या है इसको स्पष्ट रूप से लिखने का पूरा कोशिश करें ताकि इसे समझने में कोई दिक्कत न हो।
- शिकायत में अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो सभी का नाम, गाँव, राशन कार्ड नंबर/ या आंगनवाड़ी केंद्र या विद्यालय का स्पष्ट पता या अन्य सम्बंधित विवरण जरुर दे. साथ में उपलब्ध कोई भी दस्तावेज जो प्रमाण के रूप में हो उसकी एक छाया प्रति अवश्य संलग्न करें।
- कोशिश करें कि कुछ प्रमाण – जितना अधिक हो सके जरुर उपलब्ध कराएं।
- अगर समूह में गए हैं और एक से अधिक व्यक्तियों को अपने हक़ से वंचित किया जा रहा हो तो वैसे सभी व्यक्ति जो अपने हक़ से वंचित है का विवरण एवं हस्ताक्षर भी करवा लें ताकि उनसे भी पूछताछ कर सत्यता की जांच की जा सके।
- आप कार्रवाई मे क्या अपेक्षा करते हैं यह भी लिखे। यथा समाधान चाहते हैं या कार्रवाई ।
- और अंत में शिकायतकर्ता/ शिकायतकर्ताओं का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करना न भूलें।

लिखित शिकायत यहाँ दर्ज करें

प्रति,
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता
जिला समाहरणालय परिसर
(संबन्धित जिला का नाम) जिला
पिन -..................

(उदाहरण)
प्रति,
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता
समाहरणालय परिसर
हजारीबाग जिला
पिन - 825301

अगर DGRO के यहाँ से 30 दिनों के अन्दर आपके शिकायत का समाधान नहीं होता है या आप समाधान से असंतुष्ट है तो आयोग में सभी प्रमाण के साथ अपील दर्ज करें।

अपील यहाँ करें

झारखंड राज्य खाद्य आयोग
ई- 1/8, साकेत नगर , हिनू
निबंधन कार्यालय के सामने
राँची, PIN- 834002

Email:jharfoodcommission@gmail.com/
mail@jharkhandsfc.in

Website: www.jharkhandsfc.in

End of Sessions

Thank You